कार्यालय कलेक्टर(आबकारी), जिला-सतना (म०प्र०)

E-Mail ID : deo. satna@mpexcise.org / deo.satna47@gmail.com

-: विज्ञप्तिः-

दिनांक :- ....

सर्व-साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2018-19 के लिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार सतना जिले की 45 देशी मदिरा एवं 26 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकाने जो कि 25 एकल समूहो के अंतर्गत निष्पादन हेतु रखी गई है का वर्ष 2018-19 के लिए अर्थात् दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 की अवधि के लिए निष्पादन प्रथमतः वर्ष 2017-18 के मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानो/एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण अथवा लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

नवीनीकरण लॉटरी द्वारा निशपादन कार्यकम हेतु नियत दिनांक एवं समय निम्नानुसार है :-

क	विवरण	दिनांक व समय
1.	नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र कय करने की तिथियां एवं समय	संबधित जिला कार्यालय से दिनांक 05 फरवरी 2018 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 09 फरवरी 2018 के दोपहर 03:00 बजे तक।
2	नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	संबधित जिला कार्यालय से दिनांक 05 फरवरी 2018 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 09 फरवरी 2018 के सायंकाल 05:30 बजे तक।
3	नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहो पर **इच्छुक पात्र आवेदको को लॉटरी आवेदन पत्र कय करने की तिथियां एवं समय**	संबधित जिला कार्यालय से दिनांक 10 फरवरी 2018 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 15 फरवरी 2018 के दोपहर 12:30 बजे तक।
4.	इच्छुक पात्र आवेदको द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	संबधित जिला कार्यालय मे दिनांक 10 फरवरी 2018 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 15 फरवरी 2018 के अपरान्ह 02:00 बजे तक। संबधित संभागीय उपायुक्त आबकारी कार्यालय मे दिनांक 10 फरवरी 2018 प्रातः 11:00 बजे से 13 फरवरी 2018 के सायंकाल 05:30 बजे तक **टीपः- संबधित उपायुक्त कार्यालय मे लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने तथा वंछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नही किये जायेगे।**
5.	नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा इच्छुक प्राप्त आवेदको द्वारा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रो का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 15 फरवरी 2018 को अपरान्ह 04:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदको से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए, सम्रग मे यदि जिले मे संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों/एकल समूहों पर वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य मे निहित राजस्व के 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि के आवदेन प्राप्त होते है तो ऐसे समस्त आवेदित मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन जिले मे गठित जिला समिति द्वारा, पात्र आवेदकों के हित में किया जायेगा।

कमश...................

वर्ष 2018–19 के लिए नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरांत निष्पादन से शेष रही देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहो का निष्पादन वर्ष 2018–19 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध ई– टेण्डर के माध्यम किया जावेगा।

ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन कार्यकम हेतु नियत दिनांक एवं समय निम्नानुसार है :–

क.	विवरण	दिनांक व समय
1.	ई– टेण्डर हेतु ऑन–लाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 22 फरवरी 2018 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 28 फरवरी 2018 को दोपहर 03:00 बजे तक।
2	आन–लाइन ई–टेण्डर ऑफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 28 फरवरी 2018 सायंकाल 05:30 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 01 मार्च 2018 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

निष्पादन प्रकिया की कार्यवाही से संबधित नियमो, विकय पत्र, विकय ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानो की वर्तमान वर्ष के नौ माह की खपत आदि की जानकारी सहायक आबकारी आयुक्त जिला सतना के कार्यालय से किसी भी दिन **(अवकाश के दिनो सहित)** कार्यालयीन समय मे प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2018–19 के लिए निष्पादन से संबधित समस्त प्रावधान, शेष शर्त एवं नियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) कमांक 80 भोपाल दिनांक 01 फरवरी 2018 मे प्रकाशित अधिसूचना **(जिसे आप WWW.govtpressmp.nic.in से डाउनलोड कर सकते है)** **कमांक/सात–ठेका/2018–19/416 एवं निर्देश पत्र कमांक/7/ठेका/2018–19/419 दिनांक 01.02.2018 मे उल्लेखित की गई है।**

नोट :– माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील कमांक 12164–12166/2016 मे पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 एवं 11.07.2017 के पालन मे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की सीमा को छोडकर अन्य क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर मदिरा दुकानो की अवस्थिति दिनांक 01.04.2018 से जिन क्षेत्रो की जनसंख्या 20000 या उससे कम है, वहां पर मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/ राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज राज्यमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 220 मी से कम दूरी पर अवस्थित नही होगी एवं जिन क्षेत्रो की जनसंख्या 20000 से अधिक ह, वहां पर मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नही होगी तथा मदिरा दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दृश्यमान तथा सीधे पहुचने योग्य नही होगी। मदिरा की उपलब्धता को इंगित करने वाला कोई साइन बोर्ड अथवा विज्ञापन राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर निषिद्ध रहेगा। उपरोक्तानुसार निर्देशो का दिनांक 01.04.2018 से पालन करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर,
जिला–सतना (म०प्र०)